-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2021 में थाना बबेरू क्षेत्र में व्यक्ति की डण्डे से पीटकर व गला दबाकर हत्या करने वाली उसकी पत्नी व बेटे को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना बेबरू क्षेत्र अन्तर्गत व्यक्ति की डण्डे से पीटकर हत्या करने वाली उसकी पत्नी व बेटे को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 22.06.2021 को थाना बबेरू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोर्रम के रहने वाले बंशगोपाल यादव ने थाना बबेरू में सूचना दी कि दिनांक 20.06.2021 को उसके छोटे भाई रामकरन यादव को उसकी पत्नी बृजरनिया व उसके लड़के रामबाबू यादव ने डण्डे से पीटकर गला दबाकर हत्या कर दी जिसके सम्बन्ध में थाना बबेरू में मु0अ0सं0 199/21 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बबेरू श्री विनोद कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए अभियुक्तों को दिनांक 23.06.2021 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 25.07.2021 आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी निशा पटेल तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से दोनो अभियुक्तो को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **रामबाबू यादव पुत्र स्व0 रामबरन निवासी कोर्रम थाना बबेरू जिला बांदा।**
2. **ब्रजरनिया पत्नी स्व0 रामबरन निवासी कोर्रम थाना बबेरू जिला बांदा।**

अभियोजक
श्री सुशील कुमार

विवेचक
नि0 श्री विनोद कुमार

कोर्ट मोहर्रिर
म0आ0 निशा पटेल

पैरोकार
आ0 चक्रधारी